संख्या :३५६० / श0वि0 / आ0–04–202(सामान्य) / 2003

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
देहरादून, उत्तरांचल ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 06 अगस्त, 2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में शहरी विकास निदेशालय के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0–13 लेखा शीर्षक–2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्व मदों की स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 554 / वि0अनु.–1 / 2004, दिनांकः 30जुलाई, 2004, शासन के पत्र संख्या–1634श0वि0–आ0–2004–202 (सामान्य) / 2004,दिनांकः 02 अप्रैल,2004 एवं शासनादेश संख्या–2047 / v / श0वि0–आ0 –04–202(सामान्य) / 04, दिनांकः 23 अप्रैल,2004 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 में आयोजनेत्तर मद में शासनादेश दिनांकः 02अप्रैल,2004 द्वारा लेखानुदान से 01 अप्रैल, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक की गयी वित्तीय स्वीकृति सहित कुल धनराशि रू0 35.94लाख (रू0 पैंतीस लाख चौरानवे हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

3. शासनादेश दिनांकः 02 अप्रैल,2004 द्वारा लेखानुदान से मद संख्या–03 महंगाई भत्ता के अन्तर्गत रू03.52 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी थी किन्तु अब चाले वित्तीय वर्ष–2004–2005 हेतु उक्त मद में केवल रू0 3.36लाख की धनराशि का प्राविधान है, अतः सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के अनुसार ही व्यय सीमित रखा जाये।

4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–04–नगरों का समेकित विकास–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–01–स्थानीय निकाय अधिष्ठान–00–के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 544/वित्त अनु0 1/2004, दिनांक 31 जुलाई, 2004 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्याः 3560(1) श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या –३५६०/श0वि0–आ0–2004–202(सामान्य) / 2003, दिनांकः 06-अगस्त, 2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 संख्या	मद संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि(लेखानुदान द्वारा दि0 01अप्रैल,2004 से 31 जुलाई,2004 तक स्वीकृत धनराशि सहित)
01	01–वेतन	1600
02	03–महंगाई भत्ता	336
03	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
04	06–अन्य भत्ते	289
05	08–कार्यालय व्यय	100
06	09–विद्युत देय	40
07	10–जलकर/जल प्रभार	02
08	13–टेलीफोन पर व्यय	90
09	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	180
10	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	132
11	48–महंगाई वेतन	800
	कुल योग	3594

(रू0 पैंतीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव